D.N. = 373



## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डलगढ जिला भीलवाडा(राज0)

प्रकरण संख्या 163/2017

कालु S/o सांवला नायक R/o मा0डलगढ — प्रार्थी

बनाम

(1) निर्मला देवी W/o बालमुकन्द जीनगर माण्डलगढ
(2) नन्दलाल S/o मांगीलाल बलाई आरजी का खेड़ा
(3) प्यारी W/o मांगीलाल बलाई आरजी का खेड़ा

प्रार्थनापत्र–अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0ए0

**— आदेश :—**

दिनांक— 16/5/17

प्रार्थनापत्र प्रार्थीश्री कालु नायक ने जरिये अभिभाषव श्री दिनेश तम्बोली ने प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे एकल/संयुक खाते की भूमि ग्राम आपरपुरा प0ह0 मा0डलगढ तह0 माण्डलगढ मे आराजीन 160/2, 162, 163/2 किता 3 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा भूमि स्थित है। विपक्षीगण आये दिन सीम विवाद को लेकर झगडा फिसाद करते है। अतःपत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जा साथ मे प्रार्थनापत्र की ताईद मे शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थनापत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया, प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता प्राथ की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली मे संलगन जमाबंदी सम्वत् 2064 से 2067 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस आराजीयात का खातेदार/गैरखातेदार काश्तकार है। पडौसियान के विवाद करने बाब शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढी से किसी के स्वत्व पर काई विपरीत प्रभाव नही पडत है।

अतः प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा0ले0रे0एक्ट स्वीकार किया जाक ग्राम आपरपुरा की आराजी न0 160/2 162/- 163/2 रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा की बशामलात पडौसीयान के पत्थरगढी किये जा के आदश दिये जाते है। भू–अभिलेख निरीक्षक को कमीशनर नियुक्त किया जाता है कमीशनर फीस 200 /रूपये वक्त पत्थरगढी प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। ए पत्थरगढी की शुल्क राशि 100/रूपये राजकोष मे जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदा माण्डलगढ को लिखा जावे।

प्रार्थनापत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी